

[Shri Saugata Roy]

The industrial workers in Kanpur have formed a committee called the Swadeshi Kapda Sahayatha Samithi. They have given a memorandum to be submitted to the Government. Sir, my aim in raising this discussion is not to draw attention to the Law and Order situation which caused the Kanpur massacre and firing. I will not go into the merits, of who is right and who is wrong. But, Sir, the fact remains that the Swadeshi Cotton Mills is closed since December 6, 1977 and the lock-out has thrown out of employment some 8,000 industrial workers. They are on the verge of starvation. This is a particular phenomenon in which the Swadeshi Cotton Mill workers are starving and this is not happening for the first time. For a long time they have not been getting their wages properly. Sir, instead of arranging for proper payment of wages, an incident took place in which a large number of workers were fired upon and they were killed. According to the official estimates it is put as 13 but according to unofficial estimates it may be as high as 105. This is the highest number of labour casualty in any incident anywhere in the country after independence. The Labour Minister who is sitting here should take note of this fact. There is this report of the Citizens Enquiry Committee. I wish to reiterate the demand of the workers that action should be taken against the Jaipurias who have been enjoying the patronage from the previous Government. Now this Government is also extending the same patronage to them.

Sir, the Swadeshi Cotton Mills is trying to sell their Swadeshi Polytex Shares here at a premium. For this, Sir, the permission of the Company Law Department is necessary. It is necessary for the IDBI to step in and intervene in the matter so that the Swadeshi Cotton Mills and the Jaipurias cannot defraud the nation as

well as the workers of their legitimate rights.

Therefore, Sir, I demand that the Government should immediately step in and save these workers from starvation. The Government should save the Swadeshi Cotton Mills from the clutches of Jaipurias. Immediately there should be a proper probe into the whole thing. I demand that this Swadeshi Cotton Mills should be taken over by the Central Government either directly or through the NTC (National Textile Corporation.) Nothing short of that can redeem the pledges of the Janata party to the people and the industrial workers. Nothing else can obliterate this massacre which took place in Kanpur about which Government, both at the Centre and in the States, have been silent spectators. Thank you, Sir.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, you have not called me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no notice from you under Rule 377.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have given notice. I have not been told that nothing is there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have given a notice that you are raising something during the course of the adoption of the BAC Report, but then, you were absent.

Shri Ram Kishan.

(ii) FLOODING OF KAMA TEHEL OF BHARATPUR DISTRICT IN RAJASTHAN

श्री राम किशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं सरकार का ध्यान भरतपुर जिले की कामा तहसील की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 15, 20 सालों से राजस्थान का भरतपुर जिला बाढ़ से प्रभावित रहा है। इसका कारण यह है कि भरतपुर जिले की भौगोलिक स्थिति इस

प्रकार की है कि ऊपर के हरियाणा का पानी आता है और उसके निचले हिस्से में उत्तर प्रदेश पड़ जाता है इस लए हरियाणा वाले पानी छोड़ देते हैं और उत्तर प्रदेश वाले पानी लेते नहीं हैं। मथुरा खास तौर पर जहां से श्री बागड़ी जी निर्वाचित हुए हैं और इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, राजस्थान का भरतपुर और हरयाणा का गुड़गांव जिला, ये तीनों इस बाढ़ से पीड़ित रहे हैं। इन तीनों राज्य सरकारों ने मिल कर इस बाढ़ के पानी को निकालने की एक योजना बनाई थी आज मे दस पन्द्रह साल पहले और तीनों राज्यों ने मिल कर एक ड्रेन बनायी। लेकिन जब ड्रेन बन रही थी उस समय हरयाणा की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितना पानी उनके क्षेत्र में इकट्ठा होता था उसका हिमाब कम करके बताया जिससे ड्रेन के निर्माण के लिए उन्हें पूरी धनराशि न देनी पड़े। इसका नतीजा यह हो रहा है कि बाढ़ निरन्तर आती रहती है। उत्तर प्रदेश और हरयाणा दोनों ने इस ड्रेन के निर्माण में जो गलती की उसका नतीजा सबसे ज्यादा भरतपुर जिले की कामा तहसील को भुगतना पड़ता है क्योंकि हरयाणा अपना पानी ज्यादा छोड़ देता है और उरार प्रदेश उस पानी को लेता नहीं है। वह कहता है कि हम ऐग््रीमेंट के अनुसार लेंगे लेकिन हरयाणा वाले पानी ज्यादा छोड़ देते हैं। एक तो प्राबलम यह है।

दूसरी प्राबलम यह है कि ड्रेनके निर्माण के समय वहां दो रेगुलेटर बनाये गये। एक रेगुलेटर पर कंट्रोल है हरयाणा सरकार का और दूसरे पर उत्तर प्रदेश सरकार का कंट्रोल है। नतीजा यह होता है कि हरयाणा वाले अपनी मर्जी से पानी छोड़ देते हैं और उत्तर प्रदेश वाले पानी लेते नहीं हैं। अब की साल तो हरयाणा सरकार ने इस सारे समझौते की तोड़ कर अपने रेगुलेटर की ही तोड़ दिया और फलस्वरूप आज भी कामा तहसील के 25 गांवों में चार-चार, पांच-पांच फुट पानी भरा

हुआ है। जो हरयाणा के डिफरेंशियल में थोड़ा पानी रह गया था उसे पम्पों से भरतपुर जिले के कामा क्षेत्र में डाल रहे हैं। इस तरह से तीन सालों से वहां निरन्तर कोई फसल नहीं हो रही है। की थोड़ी बहुत फसल इस साल बोयी गई थी वह भी नष्ट होती जा रही है। इधर मेरे दल के माननीय सदस्य श्री मनीराम जी बागड़ी जो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, उन्होंने इसमें मदद करने के बजाय और इस मानवीय समस्या की मुलजाने के बजाय और उलझा दिया अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण। केवल मथुरा के कुछ इलाके को बचाने के नाम पर उन्होंने जा कर वहां के अधिकारियों की एक सभा की और कह दिया कि राजस्थान के पानी को मत आने दो। अगर यही काम मैं करता तो वहां गोली चल जाती क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी पुलिस भेज दी थी और राजस्थान सरकार ने भी अपनी पुलिस भेज दी है। खैर, मैं बागड़ी जी से तो इतना ही निवेदन करूंगा कि अब वे लोक सभा के सदस्य हैं, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच नहीं हैं, इसलिए उनका दृष्टिकोण विशाल होना चाहिए, स्टेट के और राष्ट्र के हित में होना चाहिए। लेकिन खैर, उनके अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना उनका अपना धर्म है। मेरा अपना इस संबंध में सुझाव है कि इस बाढ़ नियंत्रण के लिए हरयाणा सरकार ने एक योजना बनाई है और उनका कहना है कि चार साल में अपनी तरफ से वे उसको पूरा करेंगे। उसके बाद हरयाणा के पानी को सीधे जमना में डालेंगे। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि चार साल तक भरतपुर जिले की कामा तहसील में बाढ़ आयेगी और बाढ़ जब आयेगी तो जितना हरयाणा मे पानी लेने का राजस्थान का समझौता है उतना हम लेने को तैयार है। लेकिन वे उससे ज्यादा देते हैं और उत्तर प्रदेश वाले लेते नहीं हैं। जहां तक मौजूदा सरकार का सवाल है, जब यह बाढ़ आई तो मैं और मुख्य मंत्री जी यहाँ सिंचाई मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से मिले, जितनी बार मिल

[श्री राम किशन]

सकते थे, मिले लेकिन समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। तो मैं केवल यह सुझाव देना चाहता हूँ कि और कुछ हो या न हो जब तक बाढ़ नियंत्रण योजना पूरी नहीं बनती है तब तक जो कामन डेन है तीनों राज्यों में उसका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले और जो हमारे तीनों राज्यों की समस्या है जितना पानी लेने की या जितना पानी देने की उसे मुझसे दो तीन बातें पैदा होंगी। इससे एक तो बाढ़ की समस्या का समाधान हो जायगा और अगर यह भी संभव नहीं हो तो जो दोनों रेगुलेटर बने हुए हैं हरयाणा और उत्तर प्रदेश में उनको तोड़ दिया जाय, जितना पानी आयेंगा उतना निकल जायगा। . . . (व्यवधान) . . . उत्तर प्रदेश वालों ने, नहीं तोड़ा, हरयाणा वालों ने तोड़ दिया है। दोनों टूट जायेंगे तो जितना पानी आयेंगा निकल जायगा। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और एक मक दशक जैसे बँटे नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार के सवाल दूसरे हेडवर्क के भी खड़े हो रहे हैं, उनकी तरफ भी मैं ध्यान दिलाऊँगा और बागड़ी जो से कहूँगा कि इसमें वह मेरी सहायता करें नहीं तो मैं तो डूबूँगा ही, वह भी अगले चुनाव में डूब जायेंगे।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, I want to make a humble submission. I have given notice about the trade union leader, Shri Bansidhar Azad's fasting in Ujjain.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bosu, it is not fair. If the matter has not been allowed by the Speaker, you cannot raise it like this.

Mr. Bagri.

(iii) REPORTED DEATH OR CASUAL LABOURERS IN BHATINDA WHILE DIGGING SEWER LINE

श्री मनोराम बागड़ी (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक माननीय सईस्य खड़े हैं, मैं कैसे बोलूँ ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर आपको बुलाते हैं और आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है तो आपको बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे तो हम दूसरे को बुला लेंगे।

श्री मनोराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के कितने ही मजदूर जिनका कोई वारिस इस देश में नहीं, डा० लोहिया के शब्दों में अभागे मजदूर, ऐसे दुःखी मजदूर जिनका इस देश में कोई संगठन नहीं, राजनीतिक पार्टियों में जिनका दूर का वास्ता नहीं, इस प्रकार के रोजाना के मजदूर, भटिण्डा के अन्दर 23 फरवरी को सीवर खोदते हुए मध्य प्रदेश से गये हुए 8 मजदूर दबकर मर गये। उन मजदूरों को न कोई यूनियन है, न कोई संगठन है, न उनके लिए कोई कायदा है न कोई कानून है, कोई भी नहीं है जोकि उनका संरक्षण कर सके और उनके लिए आवाज उठा सके। मैं बधाई देता हूँ जनता पार्टी के शासन को और इस माननीय सदन को कि अखिर में वही उन बदनसीब, दीनदुःखी मरने वाले लोगों का संरक्षक बना। और कुछ अधिक तो न हो सका लेकिन कम से कम इस सदन में उनकी आवाज उठाई जा सकी। केवल यही एक वाक्य नहीं है, रोज ही इस प्रकार के वाक्य होते हैं। आज के ही अखबार में आपने पढ़ा होगा कि पूना में पिपरी जो है जहाँ पर सरकारी इंजीनियरिंग कारखाना बन रहा है वहाँ पर मकान कोलैप्स होने से 8 मजदूर दब कर मर गये। इस तरह से यह रोज का किस्सा है, कितने ही लावारिस मजदूर मारे जाते हैं। ऐसे मजदूरों के लिए न तो कोई राजनीतिक